

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/43
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00032
CICOM/R/2019/00027

दिनांक: 15.02.2019

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 15.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.12.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.01.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	54/06.02.2019 (8346/05.02.2019)

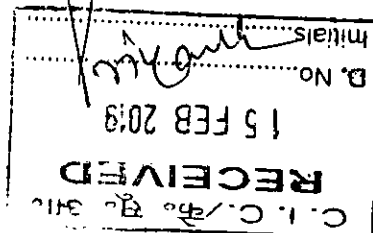
- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित पत्र सं. 2/2/2018आर.टी.आई./1331992 दिनांक 14 सितम्बर, 2018 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थीं, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "इस पत्रांक की प्रति न तो अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुई है और न ही इसकी प्रति आपने उपलब्ध करवाई है और नही यह DOPA की web-site पर उपलब्ध है" के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का उक्त पत्र संलग्न करते हुए सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
- अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का उक्त पत्र के आयोग में प्राप्त होने की मौखिक रूप से पड़ताल किए जाने पर पता चला कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का उक्त पत्र संयुक्त सचिव (प्र0) के कार्यालय में प्राप्त हुआ है एवं संयुक्त सचिव (प्र0) द्वारा इस संबंध में पत्र सं. 22/05/2018/JS-Admn/CIC दिनांक 05.10.2018 के माध्यम से अपीलकर्ता को अवगत भी करवा दिया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 'there is no provision of review/re-appeal of Commission's decisions under RTI Act, 2005. संयुक्त सचिव (प्र0) के उक्त प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।


(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।



F.No. 22/05/2018/JS-Admn/CIC
केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission

बाबा गंगनाथ मार्ग , मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली - 110067
New Delhi - 110067

Dated: 05.10.2018

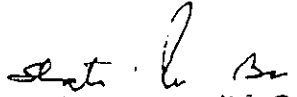
To,

Shri Girish Prasad Gupta,
Gram Shokhara, Rajender Path,
Barauni, Distt. – Begusarai,
Bihar – 851 112

Sub: Your letter dated 09.09.2018 received through DoPT.
Sir,

With reference mentioned above it is to inform that there is no provision of review/re-appeal of Commission's decisions under RTI Act, 2005.

For further assistance you may contact on Commission's helpline no. 011- 26183053.


(S.P. Beck) 05.10

Joint Secretary (Admn)

Copy to: Sh. Brij Mohan, Under Secretary, DoPT, North Block, New Delhi - 110001 for information with reference no. No. 2/2/2018- RTIC/1331992 dated 14.09.2018.

